UPKN010066072026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं–08, कानपुर नगर

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 2270 / 2026

छोटू उर्फ करिया उम्र 25 वर्ष पुत्र स्व0 राघवेन्द्र सिंह निवासी–नौगवां, कन्चौसी के पास थाना दिबियापुर जिला औरैया।

.....प्रार्थी / अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी

मु0अ0सं0–311 / 2025
धारा–305(ए), 317(2), 331(4) बी0एन0एस0
थाना–गोविन्द नगर, कानपुर नगर।

25.06.2026

1. यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी / अभियुक्त छोटू उर्फ करिया की ओर से मु0अ0सं0 311 / 2025, धारा 305(ए), 317(2), 331(4) बी0एन0एस0, थाना गोविन्द नगर, कानपुर नगर में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थनापत्र के साथ तजीन फातिमा, असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर नगर द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त जमानत प्रार्थनापत्र माननीय सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर के आदेशानुसार जरिये अन्तरण प्राप्त हुआ है।

2. प्रस्तुत अभियोग में वादिनी मुकदमा श्रीमती अमरजीत चावला द्वारा दिनांक 08.09.2025 को समय 00:18 बजे प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज़ करवाई गई कि वादिनी श्रीमती अमारजीत चावला पत्नी दिवंगत सतवन्त सिंह चावला निवासी 95, M.I.G RATAN LAL NAGAR, KANPUR नगर हम लोग रात्रि 09:45 पी0एम0 में घर से दो घंटे के लिये बाहर गये हुय थे, इतने में कुछ अज्ञात लोगों ने हमारे घर में घुसकर चोरी कर ली, हम दो घंटे बाद तकरीबन 01:10 ए0एम0 को आए तो देखा कि दो अज्ञात व्यक्ति हमारे घर में से निकल के भागे और हमने पीछा किया तो छत पर चढ़कर ऊपर से भाग गये। जब हम लोगों ने घर में देखा तो पाया की सभी कमरो के समान बिखरे हुय था तथा लोहे की अलमारी खुली हुई थी मैने अपनी अलमारी देखा तो वह भी खुली हुई

थी तथा अलमारी का समान जमीन पर पड़े हुय थे। मेरे अलमारी में रखे सोने की चूड़ी, व सोने के कड़ा, 4 टॉपस जोडी सोने की, 5 सोने की अंगूठी, एक सोने की चेन पेनडेट के साथ जिसमे qw बना हुए था, 2 छोटे टॉपस के जोड़े सोने के, कुछ टूटा हुए सोने का सामान, 2 लेडीज घडी, चांदी के 10–12 सिक्के तथा, 40 हजार रूपया कैश चोरी कर लिये गए, इसके इलावा कुछ जरूरी कागज और एफ.डी.अर के पेपर भी ले गाया है। वादिनी की रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है।

3. जमानत प्रार्थनापत्र संलग्न शपथपत्र में प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह कथन किये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त पूरी तरह निर्दोष है, उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे उपरोक्त अपराध में झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध 06.09.2025 से 07.09.2025 के बीच रात 21:45 से 01:10 बजे के बीच हुआ बताया जा रहा है, जबकि इसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 08.09.2025 को समय 00:18 बजे दर्ज की गई थी। एफ0आई0आर0 दर्ज करने में 01 दिन की देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, जबकि संबंधित पुलिस थाना और घटनास्थल के बीच की दूरी मुश्किल से 04 किलोमीटर है। प्रार्थी/अभियुक्त के बताए अनुसार या उसके निजी कब्जे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। आभूषण और धन की बरामदगी एक संयुक्त बरामदगी थी जो झूठी, मनगढ़ंत और सुनियोजित थी। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में कोई जनता का गवाह नहीं है, इसलिए उक्त बरामदगी जाली और मनगढ़ंत है। उक्त गिरफ्तारी और बरामदगी ज्ञापन से पहले पुलिसकर्मियों ने अपनी जामा तलाशी नहीं ली थी। जांच अधिकारी द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध एकत्र किए गए साक्ष्य अस्पष्ट, कमजोर और निराधार हैं। बरामदगी ज्ञापन के गवाह पुलिसकर्मी हैं, वे हितैषी गवाह हैं, इसलिए अभियोजन पक्ष के गवाहों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को न तो पर्दा में रखा गया और न ही पहचान परेड के लिए पेश किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त 13.09.2025 से जेल में है। प्रार्थी/अभियुक्त के परिवार के सदस्य गरीब हैं और उसके मुकदमे की पैरवी में सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उसके अनुरोध पर सचिव, डी0एल0एस0ए0, कानपुर नगर के आदेशानुसार मामले को पैरवी के लिए लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम को आवंटित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आवश्यक बेल बांड प्रस्तुत करने के लिए तैयार है। यह न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल नहीं किया गया है, न ही कोई

जमानत प्रार्थनापत्र लंबित है और न ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त 25 वर्ष का युवक है, उसकी लंबी हिरासत के कारण उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। संज्ञान की तिथि से अब तक उक्त मामले में अवर न्यायालय द्वारा किसी भी गवाह की जांच नहीं की गई है, इसलिए उक्त मामले के मुकदमे के निष्कर्ष में अत्यधिक विलंब होने की संभावना है, अतः मुकदमे की सुनवाई तक अभियुक्त को जेल से रिहा करना आवश्यक है। गरीबी के कारण प्रार्थी/अभियुक्त उच्च न्यायालय में जमानत की पैरवी करने में असमर्थ है, अतः रिहाई के लिए न्यायालय में दूसरी जमानत याचिका दाखिल की जा रही है। अतः मुकदमे की सुनवाई तक प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आदेश पारित करने की प्रार्थना की गई है।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र का घोर विरोध करते हुये तर्क दिये गये हैं कि अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में चोरी की गई। अभियुक्त को सह–अभियुक्त बब्बी सिंह उर्फ कुलदीप सिंह के साथ गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से वादिनी मुकदमा के घर से चोरी किया गया माल बरामद किया गया था। अभियुक्तगण की पहचान सी०सी०टी०वी० फुटेज के आधार पर हुई थी तथा अभियुक्तगण से ही माल की बरामदगी हुई थी। अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास भी है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से ऐसे किसी अपराध की पुनरावृत्ति कर सकता है। अभियुक्त आदतन अपराधी है। प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाय।

5. अभियोजन व अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के प्रकाश में, प्रपत्रों व समस्त केस डायरी का परिशीलन किया गया।

6. प्रस्तुत अभियोग में अभियुक्त द्वारा वादिनी मुकदमा के घर में घुसकर चोरी किये जाने का आरोप लगाया गया है। सी०सी०टी०वी० फुटेज के आधार पर अभियुक्त की पहचान हुई है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के कब्जे से चोरी गया माल 01 अदद ब्रेसलेट पीली धातु, 02 चूड़ी पीली धातु, 02 जोड़ी कान के टप्स नगदार पीली धातु, 01 जोडी के कान के टप्स पीली धातु, 01 अंगूठी पीली धातु, 01 अंगुठी नगदार सफेद धातु, 01 कान का झुमका टूटा हुआ पीली धातु, 01 लेडीज घड़ी, 03 अदद सिक्के छोटे सफेद धातु, 03 अदद सिक्के बड़े सफेद

धातु, 01 कागज में लिपटे हुए मोती तथा कुछ नगदार पीली धातु के टुकड़े तथा कुल 15000 / रू० नकद व लोवर की बायीं जेब से 02 अदद कारतूस व बायीं फेट से से 01 अदद तमंचा बरामद होने का कथन किया गया है। बरामदशुदा माल मुकदमे की पहचान वादिनी मुकदमा श्रीमती अमरजीत चावला द्वारा की गई है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त का इस मामले के अतिरिक्त 08 अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है।

7. अभियुक्त पर लगाया गया आरोप गम्भीर प्रकृति का है। प्रस्तुत अभियोग के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा अभियोग की प्रकृति को देखते हुए मेरे मत से प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान किये जाने का कोई समुचित आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है, तद्नुसार निम्न आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त छोटू उर्फ करिया द्वारा मु0अ0सं0 311/2025, धारा 305(ए),317(2),331(4) बी०एन०एस०, थाना गोविन्द नगर, कानपुर नगर के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किया जाता है। अभियुक्त/अभियुक्त अधिवक्ता को आदेश की नकल निःशुल्क अविलम्ब प्राप्त करायी जाए।

दिनांकः 25.06.2026

(विजय कुमार गुप्ता–I)
अपर सत्र न्यायाधीश,कोर्ट सं0–08,
कानपुर नगर।

Digitally signed by VIJAY KUMAR GUPTA
Date: 2026.06.25 16:03:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court